REGISTERED No. DL---(N)-04/0007/2003---05



प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 33] No. 33]

Daba

रजिस्ट्री सं. डीएल---(एन)-04/0007/2003---05

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19—अगस्त 25, 2017 (श्रावण 28, 1939)

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19—AUGUST 25, 2017 (SRAVANA 28, 1939)

### इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकार्यो द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली–110002, दिनांक 25 जुलाई 2017

सं. 1—2 / 2015—विस्तार(आरआर) [सं. वी—33(13)1 / 2002—स्थाLIV]—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतदद्वारा आंघ्र प्रदेश राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामतः :—

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियमाधीन
1.	श्रम और रोजगार, प्रशिक्षण तथा कारखाने मंत्री आंघ्र प्रदेश सरकार, भवन सं. 3, प्रथम तल, कमरा संख्या 207, वेलगापुडी, तुल्लुर (एम), अमरावती, गुंदूर जिला।	अच्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	सचिव आंघ्र प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण तथा कारखाना विभाग, आंघ्र प्रदेश सचिवालय, 5वां ब्लॉक, भू तल, वेलगापुडी, तुल्लुर(एम), अमरावती, गुंदूर जिला।	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	श्रम आयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार, 33—7—6 ततैया स्ट्रीट, सीतारामपुरम, विजयवाडा 520002	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)

1-209 GI/2017

भारत का राजपत्र, अगस्त 19, 2017 ( श्रावण 28, 1939)

[भाग ]]]–खण्ड 4

8

	निदेशक बीमा चिकित्सा सेवाएं, आंध्र प्रदेश, 18—4—5, दूसरी लेन, केदारेश्वरपेट, विजयवाडा।	राज्य में क.रा.बी. योजना के सीघे प्रभार में अधिकारी, सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
	राज्य चिकित्सा आयुक्त क.रा.बी. निगम, द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, आंध्रप्रदेश, विजयवाडा।	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)
<b>.</b>	श्री परुचूरी धर्मा तेजा प्रबंध निदेशक, सक्कू स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 5—8739 / 1, सक्कू हाउस, मेन रोड, लक्ष्मी नगर, गुंटूर–522007	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)
7.	श्री एस. विजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक, विशाखा स्टील प्लांट, एरिया शॉप ऑफिस, स्टील मेल्टिंग शॉप, विशाखापट्टणम—530031	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
8.	श्री पी महिधर बाबू, (लेफ़ट कंपनी) मानव संसाधन. अमरराजा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, करकमपुडी, तिरुपति।	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
9.	श्री नेसानूरू मोहन, 20–2–552 / ए–3, मारुति नगर, कोरलागुंटा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
10.	श्री गुंटापल्ली शेषगिरि राव डी संख्या 26–19–1, ए.टी. अग्राहरम, गुंटूर–522004	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
11.	श्री एन. नंद गोपाल तेलुगू नाडु ट्रेड यूनियन काउंसिल (टीएनटीयूसी), 28–1428 / 7ए. साईं बाबा गली, रामनगर कॉलोनी, चित्तूर	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
12.	श्री येर्रामोतुला धर्मराजू 15—115, सत्यवती बिल्डिंग, बोट ऑफिस स्ट्रीट, धवलेश्वरम– 533125, पूगो. जिला।	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
13.	श्री जे. सत्यकुमार, 6–338एम तीसरी गली, मलयपेठ, राजामुंदरी, पूर्व गोदावरी–533105	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
14.	क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आंध्र प्रदेश, विजयवाडा	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

ए. क. सिन्हा बीमा आयुक्त

# कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

### नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2017

सं. 1-2/2015- विस्तार—राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), सेवा उप नियमों, 1993, के नियम (6) के उप-नियमन 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार मैनेज में महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), महानिदेशक भर्ती नियम, 2017 हैं'।

426

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION New Delhi-110002, the 25th July 2017

No. 1-2/2015-Extn. (RRs) [No. V-33(13)1/2002. E-IV]— In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Andhra Pradesh State which shall consist of the following members, namely:-

SI. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
l	Minister of Labour & Employment, Training & Factories, Govt. of Andhra Pradesh, Building No. 3, First Floor, Room No. 207, Velagapudi, Tullur(M), Amaravathi, Guntur Dist.	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Secretary to Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment, Training & Factories Department, A.P. Secretariat, 5 <sup>th</sup> Block Ground Floor, Velagapudi, Tullur(M), Amaravathi, Guntur Dist.	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Commissioner of Labour, Government of Andhra Pradesh, 33-7-6, Tataiah Street Seetharamapuram, Vijayawada-520002.	Member	Reg. 10(1)(c)
4	The Director of Insurance Medical Services, Andhra Pradesh, 18-4-5, 2 <sup>nd</sup> lane, Kedareswarapet, Vijayawada.	Officer directly Incharge of ESI Scheme in the State, Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5	State Medical Commissioner, ESI Corporation, C/o Regional Office, Andhara Pradesh, Vijayawada.	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6	Shri Paruchuri Dharma Teja, Managing Director, Sakku Spinning Mills Pvt.Ltd., 5-87-39/1, Sakku House, Main Road, Laxminagar, Guntur-522007	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
7	Shri S. Vijaya Kumar, Assistant General Manager, Visakha Steel Plant, Area Shop Office, Steel Melting Shop, Visakhapatnam -530031	Employers' Additional Representatives	Proviso to Reg. 10(1)
8	Shri P. Mahidhar Babu, (LEFT COMPANY) HR, Amararaja Group of Companies, Karkampudi, Tirupathi.	Employers' Additional Representatives	Proviso to Reg. 10(1)
9	Shri Nesanooru Mohan, 20-2-552/A3, Maruthinagar, Korlagunta, Tirupathi, Andhra Pradesh.	Employers' Additional Representatives	Proviso to Reg. 10(1)
10	Shri Guntapalli Seshagiri Rao, D.No. 26-19-1, A.T. Agraharam, Guntur-522004	Employees' Representatives	Reg. 10(1)(e)
11	Shri N. Nanda Gopal, Telugu Nadu Trade Union Council (TNTUC), 28-1428/7A, Sai Baba Street, Ramnagar Colony, Chittoor.	Employees' Additional Representatives	Proviso to Reg. 10(1)
12	Shri Yarramothula Dharmaraju, 15-115, Satyavathi Building, Boat Office Street, Dhavaleswaram-533125, EG Dist.	Employees' Additional Representatives	Proviso to Reg. 10(1)
13	Shri J. Satyakumar, 6-338m, 3 <sup>rd</sup> Street, Mallayyapet, Rajahmundry, East Godaveri – 533105.	Employees' Additional Representatives	Proviso to Reg. 10(1)
14	Regional Director, Regional Office, ESI Corporation, Andhra Pradesh, Vijayawada.	Member-Secretary	Regulation 10(3)

A. K. SINHA Insurance Commissioner